



-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 14.04.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ थाना पैलानी पुलिस द्वारा व्यक्ति की मारपीट कर हत्या करने वाले अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।

विवरण - पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी सदर श्री राजवीर सिंह गौर के निकट पर्यवेक्षण में थाना पैलानी पुलिस द्वारा व्यक्ति को मारपीट कर हत्या करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है । गौरतलब हो कि दिनांक 13.04.2026 को थाना पैलानी क्षेत्र के ग्राम मरझा में शिवपूजन पुत्र विजय बहादुर को शराब के नशे में मामूली विवाद को लेकर उसी के पड़ोसी द्वारा मारा पीटा गया जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी । जिसके सम्बन्ध में मृतक के भाई की तहरीर पर थाना पैलानी में सुसंगत धाराओं में अभियोग पजीकृत करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया । जिसे आज दिनांक 14.04.2026 को सम्बन्धित मा0 न्यायालय भेजा गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. अनिल कुमार उर्फ गुड्डु उर्फ वोक्का पुत्र श्रवण कुमार निवासी मरझा थाना पैलानी जनपद बांदा ।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0 81/26 धारा 103(1)3(5)/351(3) बीएनएस थाना पैलानी जनपद बांदा ।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. श्री राजेश कुमार वर्मा प्र0निरी0 थाना पैलानी
2. हे0कां0 विपुल कुमार मिश्रा
3. कां0 साहिल चौधरी
4. कां0 कृष्ण कुमार